भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2314

उत्तर देने की तारीख 13.03.2025

असम में वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन

2314 श्री प्रद्युत बोरदोलोई**:**

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफआरए) के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकार (आईएफआर), सामुदायिक वन अधिकार (सीएफआर) और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों से संबंधित लंबित और अस्वीकृत दावों के हिस्से का ब्यौरा क्या है और किसी दावे की पुष्टि तथा स्वामित्व के वितरण के बीच औसत प्रतीक्षा समय कितना है;

(ख) विगत दस वर्षों के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में और उसके आस-पास संरक्षण संबंधी गतिविधियों के कारण विस्थापित हुए जनजातीय परिवारों की संख्या कितनी है;

(ग) जनजातीय समुदायों की आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं और संसाधनो तक पहुंच पर काजीरंगा में संरक्षण नीतियों के प्रभाव के संबंध में किए गए आकलन का ब्यौरा क्या है;

(घ) काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन और संरक्षण में जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) काजीरंगा में वन अधिकार अधिनियम के उल्लंघन के संबंध में सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) जनजातीय कार्य मंत्रालय, "अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006" (संक्षेप में एफआरए) के विधायी मामलों के प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निदेश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। एफआरए और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारें/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें 20 राज्यों(असम सहित)और 1 संघ राज्यक्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है, जबकि मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

असम सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, कुल **87227 अधिकार पत्र** वितरित किए गए हैं तथा लंबित और अस्वीकृत दावों की संख्या क्रमशः 5464 और 15731 है।

(ख) चूंकि भूमि राज्य का विषय है और पुनर्वासन भी, यदि कोई हो, इसलिए जैसा कि असम सरकार द्वारा सूचित किया गया है, पिछले दस वर्षों के दौरान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में और इसके आसपास संरक्षण संबंधी गतिविधियों के कारण विस्थापित जनजातीय परिवारों की संख्या का कोई रिकॉर्ड नहीं है।

(ग) असम सरकार ने इस मंत्रालय को सूचित किया है कि काजीरंगा में संरक्षण नीतियों के कारण जनजातीय समुदायों की आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं और संसाधनों तक पहुंच पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई आकलन नहीं किया गया है।

(घ) असम सरकार ने सूचित किया है कि पारिस्थितिकी विकास समिति (ईडीसी) के माध्यम से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के प्रबंधन और संरक्षण में जनजातीय समुदायों को शामिल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) नटुनडांगा ईडीसी के अंतर्गत "चोरेन अहम" नृजातीय भोजनालय (रेस्तरां) की स्थापना और ग्राम सड़क विकास कार्य
(ii) नाहरुबोस्ती सिलिमखोवा ईडीसी के अंतर्गत सामुदायिक हॉल का निर्माण
(iii) कंचनजुरी मंडुगांव ईडीसी के अंतर्गत सामुदायिक हॉल का निर्माण, फिशर की खुदाई
(iv) अमगुरिचांग ईडीसी के अंतर्गत बुनाई शेड का निर्माण
(v) अगोराटोली ईडीसी में सुअर पालन पर प्रशिक्षण और सुअर के बच्चे का वितरण
(vi) पनबारी आदर्श मिशिंगगांव ईडीसी के अंतर्गत समुदाय आधारित पर्यटन मॉडल अजोन उकुम की स्थापना
(vii) पनबारी आदर्श मिसिंगगांव ईडीसी में कंप्यूटर पर प्रशिक्षण
(viii) पनबारी आदर्श मिसिंगगांव ईडीसी में सिलाई पर प्रशिक्षण और सिलाई मशीन का वितरण
(ix) बोहीखुवा ईडीसी में बुनाई पर प्रशिक्षण और 4 बुनाई मशीन (जैक्वार्ड) का वितरण
(x) बोहीखुवा ईडीसी में मुर्गी पालन पर प्रशिक्षण
(xi) अमगुरिचांग ईडीसी में सुअर पालन पर प्रशिक्षण
(xii) धुबाती बेलोगुरी ईडीसी में सुअर पालन पर प्रशिक्षण
(xiii) बोरभेटा ईडीसी में कंप्यूटर प्रशिक्षण

(ङ.) असम सरकार ने सूचित किया है कि पूर्वी असम वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

*****